

## -:: प्रेस—नोट ::-

पटवार सीधी भर्ती परीक्षा—2021 हेतु पंजीबद्ध कुल 15 लाख 62 हजार 995 अभ्यर्थियों में से 5 लाख 2 हजार 307 महिला अभ्यर्थी पंजीबद्ध। परीक्षा हेतु निर्धारित ड्रेस कोड की करनी होगी पालना

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, दिनांक 23 से 24 अक्टूबर 2021 तक होने वाली पटवार सीधी भर्ती परीक्षा—2021 की सभी तैयारी पूर्ण कर ली है। इस परीक्षा हेतु पंजीबद्ध कुल 15 लाख 62 हजार 995 अभ्यर्थियों में से 5 लाख 2 हजार 307 महिला अभ्यर्थी पंजीबद्ध हैं। परीक्षा में समिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड की पालना करनी होगी। ड्रेस कोड की पालना नहीं करने वाले अभ्यर्थियों (पुरुष हो अथवा महिला) को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा आयोजन से सम्बद्ध अधिकारियों/कार्मिकों के विधिसम्मत निर्देशों की अवहेलना करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। परीक्षा केन्द्र में अवांछित सामग्री ले जाने का प्रयास करने, नकल करने, अभ्यर्थी के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बैठाने अथवा प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त की जाकर बोर्ड द्वारा आगामी समय में आयोजित परीक्षाओं में एक निश्चित अवधि से लेकर आजीवन अवधि तक के लिए प्रतिबंधित किये जा सकते हैं, साथ ही राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एफ.आई.आर दर्ज करवायी जावेगी।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में ही परीक्षा केन्द्र पर आवें। परीक्षा केन्द्रों पर किसी प्रकार के कीमती सामान, आभूषण एवं परम्परागत आभूषण, मोबाईल, सभी प्रकार के इलैक्ट्रोनिक्स सामान अथवा ऐसी वस्तु जो परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के समय साथ ले जाना अनुमत नहीं है, साथ लेकर नहीं आवे क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं को केन्द्र अथवा केन्द्र के बाहर रखने की किसी प्रकार की व्यवस्था शासकीय स्तर पर नहीं की गयी है।

निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा सम्पन्न कराने के दृष्टिगत निर्धारित नॉर्मस अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड (प्रत्येक Flying Squad में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राजस्थान पुलिस सेवा का अधिकारी एवं वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी) आन्तरिक सर्तकता दल, प्रत्येक केन्द्र पर ३०३ जनर्वर आदि लगाये जायेंगे जो स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा उप संयोजकों, केन्द्राधीक्षकों, परीक्षा कक्ष अभिजागरों, परीक्षा से सम्बद्ध सरकारी एवं प्राइवेट कार्मिक पर कड़ी निगरानी रखेंगे। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्यवाही इन सर्तकता दलों द्वारा की जावेगी।

>> शिक्षा समाचार के टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए क्लिक करें <<